Sl. No.	PARTICULARS	AREA	
		Ha	Percentage
A	Total ABD Area	138.40	100%
B	Area Not in Possession	27.07	20%
C	Existing Area under TT Stadium & Dussera Maidan	8.94	6%
D	Total Area Already were Consent is given under T&CP Act	10.49	8%
	1. Govt. Housing Phase I (Ref: 3-Dhara 27/BPLLP/4387/J.K.Bho/2017 dt. 26.07.2018)	–	–
	2. Govt. Housing Phase II (Ref: 3-BPLLP/6209/216-Dhara-29/J.K.Bho/2019 dt. 10.02.2020)	–	–
	3. Haat Bazar (Ref: 211-Dhara 27/BPLLP/6217/J.K.Bho/2017 dt. 24.12.2019)	–	–
	4. Commercial Complex (Ref: 235-Dhara 29/BPLLP/6211/J.K.Bho/2017 dt. 10.02.2020)	–	–
E	NET PLANNING AREA A-(B+C+D)	91.91	66%

Sl. No.	Landuse Bifurcation (Net Planning Area)	Area	
		(Ha)	Percentage
1	Commercial	23.69	26%
2	Residential	15.83	17%
3	PSP	5.45	6%
4	Utility	4.06	4%
5	Recreation	17.61	19%
6	Roads	25.28	28%
Note: Total Road in ABD Area including the existing roads which falls in area not in possesion		40.23 Ha.	

Details of Available Land Parcel

Plot no	Land use	Area (Sq.m)	FAR	Maximum Ground Coverage (%)	Max. Permissible Height (mts.)
3	Commercial	11248.95	2.5	50	24
4	Commercial	8696.70	3.0	50	75
5	Commercial	14983.44	3.0	50	75
8	Residential	8534.92	2.5	50	45
9	Residential	8534.92	2.5	50	45
10	Residential	11931.09	2.5	50	45
11	Public & Semi-Public	11848.16	2.5	40	45
12	Commercial	18246.54	2.5	50	75
15	Residential	13481.83	2.5	50	45
19	Residential	15047.03	2.5	50	45
20	Residential	20194.55	2.5	50	45
25	Residential	9997.90	2.5	50	45
28	Public & Semi-Public	8975.63	2.5	40	45
47	Residential	6365.99	2.5	50	45
49	Residential	6371.20	2.5	50	45
53	Public & Semi-Public	7237.47	2.5	40	45
54	Commercial	12049.78	2.5	50	75
55	Commercial	7804.75	3.0	50	75
59	Commercial	8913.42	2.5	50	75
60	Residential	9241.71	2.5	50	45
61	Public & Semi-Public	9774.04	2.0	40	30
63	Residential	10831.36	2.5	50	45
64	Residential	10577.04	2.5	50	45
65	Residential	12052.67	2.5	50	45
66	Residential	8044.80	2.5	50	45
67	Commercial	5098.21	3.0	50	75
69	Commercial	16581.24	2.5	50	75
70	Commercial	16495.17	2.5	50	75
72	Residential	7101.31	2.0	50	30
73	Commercial	14174.39	2.5	50	75
75	Commercial	11723.07	2.5	50	75
77	Commercial	10991.27	2.5	50	75
798	Commercial	9650.30	3.0	50	75
80	Commercial	11943.54	2.5	50	75
81/82	Commercial	4458.50	2.5	50	75
	Public & Semi-Public	12614.95	2.5	40	45
83	Commercial	11187.01	3.0	50	75
86	Commercial	20525.69	3.0	50	75
94	Commercial	10515.47	3.0	50	75
97	Public & Semi-Public	4025.50	2.0	50	45
98	Commercial	11607.20	3.0	50	75

PROJECT DETAIL

AREA BASED DEVELOPMENT

at North and South TT Nagar under Bhopal Smart City Mission

Village - Kotra Sultanabad
Khasra No. -
34,35,36,37,101,102,108,109,110,112, 113,114,115,116,117,118,119,120,121, 122,123,124,125,126,127,128,129,130, 133,134.
Village - Bhopal Sheher
Khasra No. -
1406,1407,1416,1417,1418, 1419,1420, 1421,1444,1455,1456,1457,1458, 1488,1491,1492,1493,1494.

CEO
BHOPAL SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (BSCDCL)

COMMISSIONER
BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION

SIGNATURE

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, भोपाल, सीहोर, रायसेन

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय, भोपाल, सीहोर, रायसेन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Mishra
Date: 2020.08.21 12:45:55 IST

BHOPAL SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (BSCDCL)

Kalibadi Road, Near Nartaj Petrol Pump, Sector A, Berkheda, Bhopal, Madhya Pradesh - 462023

उपरोक्त संदर्भित विषय मे उल्लेखित स्मार्ट सिटी योजना भोपाल (नार्थ एवं साउथ टी.टी. नगर) की कुल भूमि 138.4 हेक्टर (342.0 एकड) जिसे म.प्र राजपत्र दिनांक 15.06.2018 मे प्रकाशित म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना कमांक एफ 3–79/2018/18–5 भोपाल दिनांक 03.06.2018 राजपत्र दिनांक 15.06.2018 व्दारा संलग्न मानचित्र अनुसार उपांतरित किया गया है ।

उपरोक्त प्रावधानो के अंतर्गत आपके व्दारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार अद्योसरचना विकास की सूचना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अंतगत प्राप्त सूचना को निम्न शर्तो के साथ ग्राह्य किया जाता है ।

1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–
   1. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एंव उसके अंतर्गत तैयार आदर्श उपविधियों व तत्संबंधी नियम।
   2. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998
   3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
   4. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
   5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।
2. योजना मे न्यनतम 12.0 मीटर चौडे मार्ग मान्य होगें ।
3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल झोनल बैंच भोपाल व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.06.2020 का पालन करना होगा ।
4. कालोनाइजर नियम 1998 के परिपेक्ष्य मे इस बावत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
5. प्रश्नाधीन क्षेत्र मे स्थित वृक्षो कोयथासंभव यथावत रखना आवश्यक होगा, यदि वृक्षो को हटाना जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर महोदय से अनुमति आवश्यक होगी ।
6. State Environment Impact Assment Authority M.P. भोपाल का पत्र कमांक 1304 दिनांक 23.08.2018 द्वारा जारी अनापत्ति कर समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।
9. प्रश्नाधीन स्थल पर भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के पूर्व राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भाग–4 के प्रावधान अनुसार अग्निशमन संबंधी समस्त प्रस्तावित प्रावधान दर्शाते हुये अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त की जावे। भवन निर्माण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भाग–4 अग्निशमन सबंधी किये गये प्रावधानों का निरीक्षण फायर
   अधिकारी से करवाया जाना अनिवार्य होगा एव सभी अग्निशमन के प्रावधान पूर्ण कर लिये गये है ।
12. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एंव कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
13. सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ट्रीटमेन्ट हेतु निर्धारित क्षमता ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् उसको उपचारात्मक तरीके से कॉलोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल/सीहोर

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई–5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल–462016
E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in   दूरभाष– 0755–2427091

क्रमांक   /एलपी–128–धारा–27/बीपीएलएलपी/6878/2020 भोपाल,दिनांक   /08/2020

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
भोपाल (म0प्र0)

विषय :–   स्मार्ट सिटी योजना भोपाल (नार्थ एवं साउथ टी.टी.नगर) की कुल भूमि 138.4 हेक्टर (342.0 एकड) के विकास हेतु अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ :–   आपका पत्र क्रमांक 898/बीएससीडीसीएल/2017 दिनॉक 17.11.2017

उपरोक्त संदर्भित विषय मे उल्लेखित स्मार्ट सिटी योजना भोपाल (नार्थ एवं साउथ टी.टी.नगर) की कुल भूमि 138.4 हेक्टर (342.0 एकड) जिसे म.प्र राजपत्र दिनांक 15.06.2018 मे प्रकाशित म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–79/2018/18–5 भोपाल दिनांक 03.06.2018 राजपत्र दिनांक 15.06.2018 द्वारा संलग्न मानचित्र अनुसार उपांतरित किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानो के अंतर्गत आपके द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार अद्योसरचना विकास की सूचना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 के अंर्तगत प्राप्त सूचना को निम्न शर्तो के साथ ग्राह्य किया जाता है ।

1. निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :–
   1. मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 एंव उसके अंतर्गत तैयार आदर्श उपविधियों व तत्संबंधी नियम।
   2. मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998
   3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
   4. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
   5. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम ... अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास/निर्माण के पूर्व अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Mishra
Date: 2020.08.21 12:39:47 IST

2. योजना मे न्यनतम 12.0 मीटर चौडे मार्ग मान्य होगें ।
3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेन्ट्रल झोनल बैंच भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.06.2020 का पालन करना होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

4. कालोनाइजर नियम 1998 के परिपेक्ष्य में इस बावत् परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये।
5. प्रश्नाधीन क्षेत्र मे स्थित वृक्षो कोयथासंभव यथावत रखना आवश्यक होगा, यदि वृक्षो को हटाना जाना आवश्यक हो तो कलेक्टर महोदय से अनुमति आवश्यक होगी।
6. State Environment Impact Assment Authority M. P. भोपाल का पत्र क्रमांक 1304 दिनांक 23.08.2018 द्वारा जारी अनापत्ति कर समस्त शर्तो का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी।
9. प्रश्नाधीन स्थल पर भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के पूर्व राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भाग–4 के प्रावधान अनुसार अग्निशमन संबंधी समस्त प्रस्तावित प्रावधान दर्शाते हुये अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त की जावे। भवन निर्माण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भाग–4 अग्निशमन सबंधी किये गये प्रावधानों का निरीक्षण फायर अधिकारी से करवाया जाना अनिवार्य होगा एवं सभी अग्निशमन के प्रावधान पूर्ण कर लिये गये हैं।
12. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है, उनमें सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लॉट, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एंव कॉलोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
13. सीवेज/ठोस अपशिष्ट को ट्रीटमेन्ट हेतु निर्धारित क्षमता ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् उसको उपचारात्मक तरीके से कॉलोनी के बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल म.प्र.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Mishra
Date: 2020.08.31

पृ. क्रमांक एलपी–128–धारा–27/बीपीएलएलपी/6878/2020 भोपाल,दिनांक /08/2020

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बैंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक–21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की बेव साईट **www.emptownplan.gov.in** से डाउन लोड किया जा सकता है।
2. अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.शासन, पालिका भवन, शिवाजी नगर भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

3. उपमहाप्रबंधक / कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट **www.emptownplan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल–सीहोर–रायसेन म.प्र.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Mishra
Date: 2020.08.21 12:39:47 IST

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश

जिला भोपाल मध्य प्रदेश

क्रमांक BPLLP220623934/ दिनांक / 06/JUL/2023

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी डव्लपमेंट कॉर्पोरेशन लि0, भोपाल (म0प्र0)

विषयः- स्मार्ट सिटी योजना भोपाल (नार्थ एवं साउथ टी.टी.नगर) की कुल भूमि 138.4 हेक्टर (342.0 एकड) बाबत्।

संदर्भः- आपका पत्र ऑन लाइन आवेदन दिनांक 03.07.2023

उपरोक्त संदर्भित विषय मे उल्लेखित स्मार्ट सिटी योजना भोपाल (नार्थ एवं साउथ टी.टी.नगर) की कुल भूमि 138.4 हेक्टर (342.0 एकड) का मानचित्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एलपी-128-धारा-27/बीपीएलएलपी/6878/2020 दिनांक 21.08.2020 व्दारा स्वीकृत किया गया था। आपके व्दारा संदर्भित आवेदन मे चाहे गये अभिमत मे आंशिक संशोधन संलग्न मानचित्र अनुसार ग्राह्य किया जाता है।

1. संषोधन केवल मानचित्र मे दर्षाये अनुसार A B C भाग पर मान्य होगे
2. प्रस्तावित मानचित्र मे लाल रंग से अंकित (ए) भूखण्ड क्रमांक 25, 26 एवं 28 के पीछे भूखण्ड क्रमांक 24 दोनो के मध्य 12 मीटर नवीन मार्ग मान्य किया जाता है।
3. प्रस्तावित मानचित्र मे लाल रंग से अंकित (बी) पूर्व स्वीकृत मानचित्र अनुसार भूखण्ड क्रमांक 58 सार्वजनिक सेवांए एवं सुविधाएं हेतु प्रस्तावित था म.प्र राजपत्र दिनांक 26.09.2021 व्दारा सार्वजनिक सेवांए एवं सुविधाएं से सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक हेतु उपांतरण किया गया है अतः उक्त भूखण्ड सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु मान्य किया जाता है।
4. प्रस्तावित मानचित्र मे लाल रंग से अंकित (सी) भूखण्ड क्रमांक 81 जो कि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक हेतु स्वीकृत था संलग्न मानचित्र अनुसार संषोधन मान्य किया जाता है।
5. इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एलपी-128-धारा-27/बीपीएलएलपी/6878/2020 दिनांक 21.08.2020मे उल्लेखित शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल म.प्र.

क्रमांक BPLLP220623934/ दिनांक / 06/JUL/2023

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल को सूचनार्थ।
2. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश,

जिला भोपाल म.प्र.

Signature valid

Digitally Signed by Shri C.K. Sadhav
Date: 07-07-2023 11:14:31

Scanned with OKEN Scanner